हरियाणा विधान सभा की कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

समिति की बैठक शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 को 11.00 बजे प्रातः माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई। उसमें निम्नलिखित उपस्थित थेः–

1.	श्री हरविन्द्र कल्याण, अध्यक्ष	पदेन चेयरपर्सन
2.	श्री नायब सिंह, मुख्य मंत्री	सदस्य
3.	श्री अनिल विज, ऊर्जा मंत्री	सदस्य
4.	श्री महिपाल ढ़ांडा, संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य
5.	श्री कृष्ण कुमार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अन्तोदया (एस.ई.डब्लयु.ए.) मंत्री	सदस्य
6.	श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.	सदस्य

विशेष आमंत्रितः

1. डॉ0 कृष्ण लाल मिढ़ा, उपाध्यक्ष
2. श्रीमती सावित्री जिंदल, एम.एल.ए
3. श्री अर्जुन चौटाला, एम.एल.ए.

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 को 02:00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

सोमवार, 25 अगस्त, 2025 को विधान सभा की बैठक 02:00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा 6:00 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 को विधान सभा की बैठक 11:00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 5:00 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

बुधवार, 27 अगस्त, 2025 को विधान सभा की बैठक 11:00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 22, 25, 26 तथा 27 अगस्त, 2025 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः–

शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 (02:00 बजे मध्याह्न–पश्चात्)	1. शोक प्रस्ताव। 2. प्रश्न काल। 3. शून्य काल। 4. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 5. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज–पत्र। 6. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। 7. विधायी कार्य।
शनिवार, 23 अगस्त, 2025	**छुट्टी**
रविवार, 24 अगस्त, 2025	**छुट्टी**
सोमवार, 25 अगस्त, 2025 (02:00 बजे मध्याह्न–पश्चात्)	1. प्रश्न काल। 2. शून्य काल। 3. वर्ष 2025–26 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट। 4. वर्ष 2025–26 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर चर्चा तथा मतदान। 5. विधायी कार्य।
मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 (11:00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. शून्य काल। 3. वर्ष 2025–26 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम क़िस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। 4. विधायी कार्य।

बुधवार, 27 अगस्त, 2025
(11:00 बजे प्रातः)

1. प्रश्न काल।
2. शून्य काल।
3. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।
4. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।
5. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से रखे जाने वाले कागज–पत्र।
6. विधायी कार्य।
7. कोई अन्य कार्य।

चण्डीगढ़ :
दिनांकित 22 अगस्त, 2025.

हरविन्द्र कल्याण,
अध्यक्ष।

******

चण्डीगढ़ :
दिनांकित 22 अगस्त, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।